



2026:AHC: 179967

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 10398 वर्ष 2026

वीरेंद्र सिंह पंवार और 2 अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: अरविंद कुमार वर्मा, महेश शर्मा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: डॉ. आदित्य कुमार त्रिवेदी, जी.ए., लक्ष्मी कांतम दुबे

न्यायालय संख्या- 80

माननीय न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला

1. आज न्यायालय में दाखिल प्रत्युत्तर शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार वर्मा, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य कुमार त्रिवेदी, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. वर्तमान आवेदन बीएनएसएस की धारा 528 के अंतर्गत अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 01, बागपत द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 240 वर्ष 2024 (वीरेंद्र सिंह पंवार और अन्य बनाम रामपाल सिंह और एक अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01.01.2026 के साथ-साथ विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 530 वर्ष 2018 से उत्पन्न, थाना-दोगहट, जिला: बागपत में भा.द.सं. की धारा 420 के अंतर्गत आपराधिक वाद संख्या 7176 वर्ष 2021 (राज्य बनाम वीरेंद्र सिंह पंवार और अन्य) में पारित आदेश दिनांक 18.09.2024 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि आवेदकों के विरुद्ध कोई प्रकरण नहीं बनता है और शुरू की गई आपराधिक कार्यवाहियां विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकों को झूठा फंसाया गया है और उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है।

5. दूसरी ओर, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि प्रथम दृष्टया आवेदक के विरुद्ध पर्याप्त सामग्री है।

6. अभिलेखों के परिशीलन से, यह स्पष्ट होता है कि विवेचना पूर्ण होने के पश्चात 15.09.2021 को आवेदकों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और 27.09.2021 को आवेदकों के विरुद्ध संज्ञान लिया गया था। तत्पश्चात, आवेदकों ने उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत किया और उसे 18.09.2024 को खारिज कर दिया गया। यह भी अवगत कराया गया है कि आरोप विरचित कर दिए गए हैं और विचारण साक्ष्य के चरण पर है।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *अमित कपूर बनाम रमेश चंदर और एक अन्य (2012) 9 एससीसी 460* में क्षेत्राधिकार के उचित प्रयोग के लिए विचार किए जाने वाले सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, विशेष रूप से द.प्र.सं. की धारा 482 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग में किसी आरोप को रद्द करने के संबंध में, जो निम्नानुसार सूचीबद्ध हैं:

1. यद्यपि संहिता की धारा 482 के अंतर्गत न्यायालय की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन जितनी अधिक शक्ति होगी, इन शक्तियों का प्रयोग करने में उतनी ही अधिक उचित देखभाल और सावधानी बरती जानी चाहिए। आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द करने की शक्ति, विशेष रूप से, संहिता की धारा 228 के संदर्भ में विरचित आरोप का प्रयोग बहुत ही संयम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी विरल से विरलतम वादों में किया जाना चाहिए।
2. न्यायालय को इस परीक्षण को लागू करना चाहिए कि क्या वाद के अभिलेख और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से किए गए निर्विवाद अभिकथन प्रथम दृष्टया अपराध स्थापित करते हैं या नहीं। यदि आरोप इतने स्पष्ट रूप से बेतुके और अंतर्निहित रूप से असंभावित हैं कि कोई भी समझदार व्यक्ति कभी ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है और जहां

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



किसी आपराधिक अपराध के मूल तत्व संतुष्ट नहीं होते हैं, तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।

3. उच्च न्यायालय को अनुचित रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आरोप विरचित करने या आरोप रद्द करने के स्तर पर यह विचार करने के लिए साक्ष्य के किसी भी सूक्ष्म परीक्षण की आवश्यकता नहीं है कि वाद दोषसिद्धि में समाप्त होगा या नहीं।
4. जहां न्याय की स्पष्ट विफलता को रोकने और अवर न्यायालयों द्वारा की जा सकने वाली किसी गंभीर त्रुटि को सुधारने के लिए ऐसी शक्ति का प्रयोग बिल्कुल आवश्यक है, ऐसे मामलों में भी, उच्च न्यायालय को अपनी अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में अभियोजन का गला घोटने के लिए प्रारंभिक स्तर पर हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।
5. जहां संहिता के किसी भी प्रावधान या किसी विशिष्ट प्रवृत्त विधि में ऐसी आपराधिक कार्यवाहियों की शुरुआत या संस्थापन और निरंतरता के लिए कोई स्पष्ट विधिक रोक अधिनियमित है, तो ऐसी रोक का आशय अभियुक्त को विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करना है।
6. न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और शिकायतकर्ता या अभियोजन पक्ष के अपराधी का अन्वेषण करने और उस पर मुकदमा चलाने के अधिकार के बीच संतुलन बनाए।
7. न्यायालय की प्रक्रिया को किसी परोक्ष या अंतिम/गुप्त उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
8. जहां किए गए अभिकथन और जैसा कि वे अभिलेख और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों से मुख्य रूप से 'सिविल दोष' को जन्म देते हैं और गठित करते हैं, जिसमें कोई 'आपराधिक तत्व' नहीं होता है और किसी आपराधिक अपराध के मूल तत्वों को संतुष्ट नहीं करते हैं, न्यायालय आरोप को रद्द करने में न्यायोचित हो सकता है। ऐसे वादों में भी, न्यायालय साक्ष्य के आलोचनात्मक विश्लेषण पर विचार नहीं करेगा।
9. एक और बहुत महत्वपूर्ण सावधानी जो न्यायालयों को बरतनी है वह यह है कि वह यह निर्धारित करने के लिए अभिलेख पर मौजूद तथ्यों, साक्ष्य और सामग्रियों का परीक्षण नहीं कर सकता है कि क्या पर्याप्त सामग्री है, जिसके आधार पर वाद दोषसिद्धि में समाप्त

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



होगा, न्यायालय मुख्य रूप से समग्र रूप से लिए गए आरोपों से संबंधित है कि क्या वे कोई अपराध गठित करेंगे और यदि हां, तो क्या यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जिससे अन्याय होता है।

10. यह पता लगाने के लिए कि यह दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का मामला है या नहीं, अन्वेषण एजेंसियों द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन करने या पूर्ण जांच करने की न तो आवश्यकता है और न ही न्यायालय से इसकी अपेक्षा की जाती है।

11. जहां आरोप एक सिविल दावे को जन्म देते हैं और एक अपराध की श्रेणी में भी आते हैं, केवल इसलिए कि एक सिविल दावा पोषणीय है, इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई आपराधिक शिकायत पोषणीय नहीं हो सकती है।

12. धारा 228 और/या धारा 482 के अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि किसी अपराध का खुलासा नहीं हुआ था या उसके दोषमुक्त होने की संभावना थी, अभियुक्त द्वारा दी गई बाहरी सामग्रियों पर विचार नहीं कर सकता है। न्यायालय को अभियोजन पक्ष द्वारा संलग्न अभिलेख और दस्तावेजों पर विचार करना होता है।

13. किसी आरोप को रद्द करना निरंतर अभियोजन के नियम का एक अपवाद है। जहां अपराध मोटे तौर पर संतुष्ट भी है, न्यायालय को उस प्रारंभिक प्रक्रम पर इसे रद्द करने के बजाय अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देने के लिए अधिक इच्छुक होना चाहिए। न्यायालय से दस्तावेजों या अभिलेखों की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता तय करने की दृष्टि से अभिलेखों को क्रमबद्ध करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, बल्कि यह प्रथम दृष्टया बनाई गई राय है।

14. जहां आरोप-पत्र, संहिता की धारा 173(2) के अंतर्गत रिपोर्ट, मौलिक विधिक दोषों से ग्रस्त है, न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के भीतर आरोप विरचित कर सकता है।

15. उपरोक्त में से किसी या सभी के साथ, जहां न्यायालय पाता है कि यह संहिता की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा या न्याय का हित इसका पक्ष लेता है, अन्यथा वह आरोप को रद्द कर



सकता है। शक्ति का प्रयोग एक्स डेबिटो जस्टिटिया, अर्थात् वास्तविक और सारवान न्याय करने के लिए किया जाना है, जिसके प्रशासन के लिए ही न्यायालय अस्तित्व में हैं।

ये वे सिद्धांत हैं जिन्हें व्यक्तिगत रूप से और अधिमानतः संचयी रूप से (एक या अधिक) विचार में लिया जाना चाहिए।

8. चूंकि आवेदक के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए हैं और विचारण न्यायालय ने एक अनंतिम दृष्टिकोण अपनाया है जो कार्यवाहियों के अंतिम समापन के अधीन है, इसलिए, न्यायालय बीएनएसएस की धारा 482/528 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुचित रूप से अभियोजन के प्रकरण पर संदेह नहीं करेगा और जल्दबाजी में आरोप को रद्द करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार का विस्तार नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में, प्रकरण की सच्चाई तब सामने आती है, जब अभियोजन का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, बचाव पक्ष द्वारा साक्षियों से जिरह की जाती है, दोषसिद्धि सामग्री और साक्ष्य को द.प्र.सं. की धारा 313 के संदर्भ में अभियुक्त के समक्ष रखा जाता है और फिर अभियुक्त को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है, यदि कोई हो। ऐसे कदमों के पूरा होने पर ही विचारण न्यायालय द्वारा अपनी अंतिम राय बनाने और अपना निर्णय पारित करने के साथ विचारण समाप्त होता है।

9. तदनुसार, पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत, बीएनएसएस की धारा 528 के अंतर्गत यह आवेदन अभियुक्त-आवेदक को विचारण के दौरान अपने सभी तर्क प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ **खारिज** किया जाता है और विचारण न्यायालय जल्द से जल्द विचारण को समाप्त करेगा, जिसके लिए आवेदक और अभियोजन पक्ष सहयोग करेंगे।

(न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला)

25 अगस्त, 2026

आदित्य त्रिपाठी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”